

निर्णय दिनांक 23-11-2017

स्थगन प्रार्थनापत्र सं. R.M. 15/2017

कामाराम वगैराह बनाम राज-सरकार

न्यायालय - अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर

23-11-17

प्राथी के वकील उपास्थित/
अप्राथी की ओर से सरकारी वकील
उपास्थित। इस प्रकरण से संबंधित
मूल अपील का निर्णय हो चुका है।
अतः अब इस स्थगन प्रार्थनापत्र
का कोई औचित्य नहीं होने के
शुद्ध प्रकरण खारिज किया जाता है।
शुद्ध प्रकरण मूल अपील सं-33/2017
के संलग्न किया जावे।

S.d.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)